राजस्थान सरकार (प्रपत्र – 8)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़–शेखावाटी (सीकर)

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प पालास

–: आदेश :–

प्रार्थी के खाता दुरूस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी पालास व भू.अ.नि. रामगढ़ की रिपोर्ट तथा तहसीलदार **रामगढ़–शेखावाटी** की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम पालास तहसील **रामगढ़–शेखावाटी** व जिला **सीकर** की जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में खाता संख्या 37 नया 40 पुराना में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:–

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।)
1	पालास रहन व अन्य प्रविष्टि यथावत	37 नया 40 पुराना	खातेदारान समस्त जाति चमार	खातेदारान समस्त जाति मेघवाल दुरुस्त

( )

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी रामगढ़–शेखावाटी (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी (सीकर)
लोक अदालत / कैम्प कोर्ट 2018
ग्राम पंचायत.....

क्रमांक :– 1054
14.5.18

अग्रेषित :–

1. तहसीलदार **रामगढ़–शेखावाटी** को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री ठाकुरराम पुत्र जिनकू जाति मेघवाल व अन्य खातेदारान नि. पालास को सूचनार्थ
3. संलग्न पत्रावली।

( )

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी रामगढ़–शेखावाटी (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी (सीकर)
लोक अदालत / कैम्प कोर्ट 2018
ग्राम पंचायत.....